कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 62 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 182.90 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मार्च 2014 तक ₹ 179.44 करोड़ के राजस्व की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थीं और ₹ 21.29 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ने वि.व. 10 को छोड़कर वि.व. 09 से वि.व. 13 के दौरान वृद्धि दर्शायी है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में पिछले वर्ष से 21.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.7)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 13 में जारी रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(1) के अन्तर्गत छूटें ₹ 2,06,188 करोड़ (सामान्य छूटों के रूप में ₹ 1,87,688 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 18,500 करोड़) अर्थात केन्दीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 117 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 1.16)

- 31 मार्च 2013 तक ₹ 17,020.54 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले लम्बित थे। यह लम्बन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। ₹ 1,353.85 करोड़ के 326 मामले दो वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.26)

- वसूली हेतु लम्बित बकाया वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 47,621 करोड़ पहुँच गया जबकि वर्ष के दौरान केवल ₹ 1,884 करोड़ का संग्रहण हुआ था। बकाया का लम्बन प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और वसूलियां लम्बित बकाये की केवल 5 प्रतिशत थीं।

(पैराग्राफ 1.35)

अध्याय II: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ लेने और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लगाने/कम भुगतान के मामले पाए जिसमें ₹ 66.76 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 2.1)

अध्याय III: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने अन्य बातों के साथ साथ संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों के मामले पाए। उनमें सम्मिलित शुल्क/कर ₹ 116.03 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.2)